साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 अंक 16 प्रति सोमवार इंदौर, 20 से 26 नवंबर 2023 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

इसराइल-हमास के 45 दिन से चलने वाले युद्ध की आग में

रूस-चीन-अमेरिका ताप रहे तीनों

हथियार उत्पादक सभी देश चाहते हैं की युद्ध करने वाले मरे पर उनके हथियारों की प्रदर्शनी और क्षमता उनके हथियारों की बिक्री बढ़ा देगी इसलिए उन्होंने सब कुछ युद्ध करने वालें पर ही छोड़ दिया है

इसराइल हमास युद्ध में इसराइल को कहीं से भी गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हमास जिसे मुस्लिम देशों सेधन गोला बारूद व अन्य प्रकार की सहायता मिलती है ने वृहत षड्यंत्र के अंतर्गत इजरायल पर आक्रमण बहुत तैयारी के साथ किया था। उसके सूचना तंत्र को चकमा देकर आक्रमण किया था और पूर्व के इतिहास की तरह दो-तीन दिन वह भारी भी रहा इसराइल को उसने तहस-नस कर खत्म करने की कोशिश की थी पर यहूदी लड़ाके भी चौथ कब शत्रु से घिरे रहने के कारण 24 घंटे युद्ध की आपातकालीन स्थिति में दिल लड़ने के लिए तैयार खड़े व बने रहते हैं। ऑनलाइन नियंत्रण किया और जिन जिन देशों ने उसे सहायता करने की कोशिश की जिसमें इरान, मिश्र आदि हैं। उनको भी जवाब दिया गया बेशक मुस्लिम देशों ने इकट्ठा होकर उसको जवाब देने डराने धमकाने की कोशिश की। पर वह युद्ध का पुराना खिलाड़ी जवाब देने के मामले में सिद्ध हस्त होने के कारण उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। बेशक पहले दो दिन उसके आक्रमण से हिंसा और बर्बादी पर दुनिया का पूरा मुस्लिम विश्व बहुत तालियां पीट कर वीडियो आकर्षित कर खुशियां मना रहा था जिस पर तो तुषारा पात होने पर वही दुनिया की मुस्लिम जमात युद्ध बंद करने के लिए भीषण रक्त पास होने 11000 से ज्यादा नागरिक करने के कारण अब गिड़ गिड़ा रही है। जैसा की पुरानी आदत

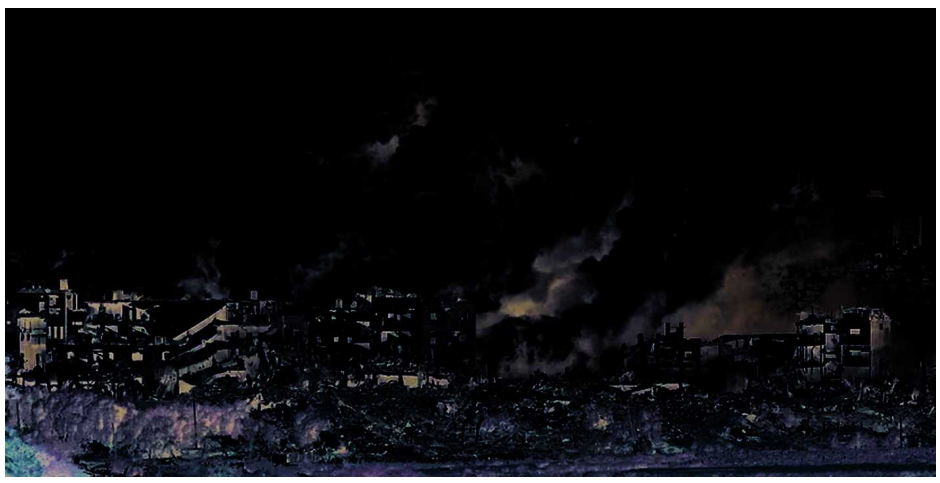

वह इतिहास रहा है।

संयुक्त शैतान संघ के कार्यालय में इस पर जब वोटिंग हुई तो तीनों बड़े देशों रूस चीन अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया।

बेशक चीन और रूस के हथियारों के दम पर उसने आक्रमण किया था पर अमेरिका जो दुनिया में युद्ध करवा कर अपने हथियार बेंच देश की अर्थव्यवस्था चलाता है तो उसके लिए युद्ध इसलिए आवश्यक है ताकि वह उसके बनाए हुए हथियारों मिसाइल रिवाल्वर से लेकर फाइटर प्लेन पनडुब्बी जहाज टैंक तोप रडार सबके परीक्षण के साथ हथियारों की प्रदर्शनी और कार्य क्षमता का युद्ध क्षेत्र में प्रदर्शन उसके हथियारों की बिक्री को बढ़ाने में चार चांद लगा देता है अब क्योंकि अमेरिका के साथ और उसे भी दुनिया का बड़ा हथियार उत्पादक रुपए खरीदा है जिसमें चीन भी कुछ पड़ा है इसलिए वह भी नहीं चाहते की युद्ध बंद हो और उनका खेल बिगड़े।

अपशिष्ट जल उपचार की अनुमति देने और दो दिवसीय ब्लैकआउट के बाद संचार फिर से शुरू करने के लिए सीमित डिलीवरी के अमेरिकी दबाव के आगे इज़राइल के झुकने के बाद ईंधन की पहली खेप गाजा में प्रवेश कर गई है।

पहली डिलीवरी शुक्रवार देर रात मिस्र से हुई जब संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने 24 लाख फिलिस्तीनियों के लिए बढ़ती निराशाजनक स्थिति की चेतावनी दी और युद्धविराम की अपील की।

हालाँकि, ज़मीनी स्तर पर, इज़राइल ने अपना आक्रामक रुख अपनाया, गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में हमास ऑपरेशन सेंटर के लिए तलाशी ली, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह नीचे स्थित है।

संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को इजरायल और हमास के बीच खूनी संघर्ष में फंसे 22 लाख लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए 'मानवीय युद्धविराम' का आह्वान दोहराया।

'आप जो चाहें कहें, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से आवश्यकता सरल है। संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को एक संबोधन में कहा, 'नागरिकों को सुरक्षित रूप से जाने की अनुमति देने के लिए लड़ाई बंद करें।'

'हम चाँद के लिए नहीं पूछ रहे हैं,' श्री ग्रिफिथ्स ने कहा।

(शेष पेज 7 पर)

उज़र प्रदेश ने लगाया हलाल ब्रांडिंग पर प्रतिबंध

योगी सरकार ने हलाल प्रमाण पत्र को घोषित किया अवैध

भारत में राष्ट्रीय सेवक संघ जो हिंदुत्व सनातन की, उनके संरक्षण हिंदू राष्ट्र की बात करता है। कश्मीर में 370 हटाने, कश्मीर से आतंक खत्म करने मुसलमानों का तीन तलाक खत्म करने के बड़े-बड़े दावे करता है परंतु देश में मंद रूप से एक समानांतर मुस्लिम संगठनों की सत्ता चल रही है। और उसके अंतर्गत सभी खाद्य वस्तुओं को मुस्लिम शरीयत के हिसाब से हलाल का न्यूनतम 6000 से लेकर आपके उत्पादन इकाई के अनुसार लाखों रुपए तक के 10 साल के प्रमाण पत्र लेने पड़ते हैं और वह बाकायदा खाद्य वस्तुओं पर लेवल के रूप में चिपकाए भी जा रहे हैं। इसके विपरीत पूरी भेड़िया झुंड पार्टी उन संगठनों से भी मोटा पैसा लेकर चुप है और वह समानंतर सत्ता चल रही है। जिसका करोड़ों का कारोबार है।

मौलाना मोदी के सत्ता में रहने के बाद भी भारत में मुस्लिमों संगठनों की

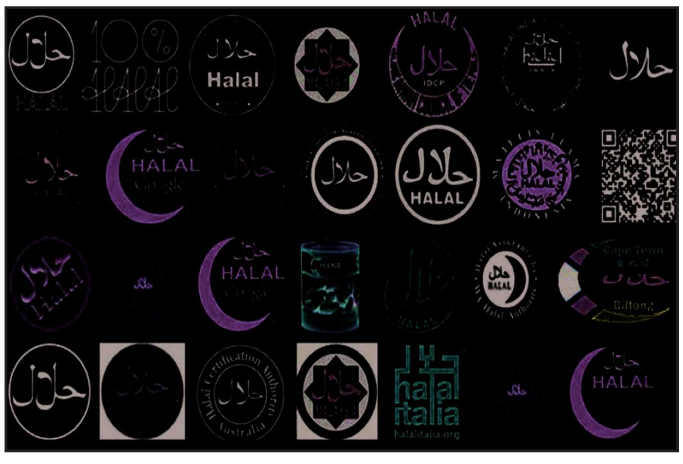

समानांतर सत्ता चल रही है।

इसके बावजूद भी हिंदुत्व की बात करने वाले बड़े-बड़े नेतासाधु सन्यासी सब चुप है और भाई शॉपिंग मॉल में मिलने वाली सारे पैकेट गुड्स में उनके अनुसारही खाद्य पदार्थ में हलाल का प्रमाण पत्र दिया जाता है और उसका प्रमाण है।

उप्र की राज्य खाद्य आयुक्त का कार्यालय यह कहते हुए आदेश जारी करता है कि इस तरह की लेबलिंग खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले कानून के खिलाफ है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी आइटम, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य तेल जैसे खाद्य पदार्थों पर हलाल लेबल लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

राज्य खाद्य आयुक्त के कार्यालय ने शनिवार को लखनऊ में जारी एक आदेश में कहा कि इस तरह की लेबलिंग खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 2006 में पारित कानून के खिलाफ है।

आयुक्त अनीता सिंह ने आदेश में कहा कि हलाल लेबलिंग उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा करती है और इसलिए यह खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर राज्य सरकार के कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। आदेश में यह भी कहा गया कि उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा करना कानून के तहत दंडनीय अपराध है।

वरिष्ठ अधिकारी ने कानून की संबंधित धाराओं का हवाला देते हुए राज्य में सभी हलाल-ब्रांडेड खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया।

हलाल के बारे में...

हलाल प्रमाणीकरण एक मान्यता है कि उत्पाद इस्लामी कानून के तहत अधिकृत हैं। इसलिए ये उत्पाद मुसलमानों के लिए खाने योग्य, पीने योग्य या उपयोग योग्य हैं। हलाल ट्रस्ट और सबसे पुराने स्थापित इस्लामी संगठन से हलाल प्रमाणीकरण रेस्तरां, होटल या दवाओं और विटामिन के रूप में खाने के बारे में बिना किसी संदेह या संदेह के हलाल उपभोक्ताओं का विश्वास बनाने में मदद करता है। यह खाद्य निर्माताओं के दावों का समर्थन करने के लिए विश्वसनीय और आधिकारिक सबूत है कि उनके उत्पाद शरिया कानून के तहत सख्त हलाल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रमाणित हलाल खाद्य उत्पाद न केवल राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाते हैं, बल्कि दुनिया भर के हलाल उपभोक्ताओं के लिए भी विपणन योग्य हैं। इससे निर्यात बाज़ारों के लिए अवसर खुलता है, विशेषकर उन देशों में जो गैर-हलाल खाद्य उत्पादों की बिक्री की अनुमति नहीं देते हैं। इसके अलावा, हलाल उत्पादों का न केवल मुस्लिम उपभोक्ताओं द्वारा, बल्कि गैर-मुस्लिम उपभोक्ताओं द्वारा भी स्वागत किया जाता है, क्योंकि हलाल प्रमाणपत्र स्वच्छता, स्वच्छता, सुरक्षा, पोषण के उच्च मानक का प्रतिनिधित्व करता है और सख्ती से उत्पादित किया जाता है। इस्लामी खाद्य कानून की आवश्यकताओं के अनुसार.

संपादकीय

पवित्रता के नाम पर

गृह मामलों से जुड़ी संसदीय समिति ने सरकार से यह सिफारिश की है कि एडल्टरी (व्याभिचार) को फिर से अपराध घोषित किया जाए। ध्यान रहे, पांच साल पहले तक अपने देश में एडल्टरी को धारा 497 के तहत अपराध ही माना जाता था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों वाली बेंच ने फैसला दिया कि इसे कानूनन अपराध 'नहीं माना जा सकता और न ही माना जाना चाहिए'। अब जब संसदीय समिति ने इसे फिर से अपराध की श्रेणी में रखने की जरूरत बताई है तो सवाल उठता है कि इन पांच सालों में आखिर ऐसा क्या बदल गया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ठोस वजह बताई थी इस कानून को निरस्त करने की। उसका कहना था कि 163 साल पुराना, औपनिवेशिक काल का बना यह कानून पति को पत्नी का मालिक मानने की अवधारणा पर आधारित है। दिलचस्प है कि संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित प्रावधान को जेंडर न्यूट्रल रखने की जरूरत बताई है, जिसका मतलब है कि परोक्ष रूप से वह भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना से सहमत है। फिर भी अगर वह एडल्टरी को अपराध मानने की वकालत कर रही है तो इसके पीछे उसकी मुख्य दलील यही है कि भारतीय समाज में विवाह संस्था को काफी पवित्र माना जाता है और इसकी पवित्रता को सुरक्षित रखने की जरूरत है।

मगर एडल्टरी को अपराध घोषित करने से विवाह की पवित्रता कैसे बरकरार रहती है, यह बात संसदीय समिति भी नहीं बताती। किसी शादी का सबसे बड़ा आधार है विश्वास और आपसी प्रेम। विवाह की सफलता के ही लिए नहीं, उसकी पवित्रता के लिए भी जरूरी है कि ये दोनों आधार सुरक्षित रहें। अगर किसी वजह से ये आधार टूटते हैं, आपसी प्रेम भाव में कमी आती है या किसी एक पार्टनर के मन में अविश्वास पनपता है तो क्या सजा पाने के डर से उस शादी को जबरन बनाए रखना शादी की पवित्रता कायम रखना है? क्या यह सुनिश्चित करना सबके लिए बेहतर नहीं है कि शादी जब तक रहे तब तक उसमें प्यार और विश्वास बना रहे और जब इसमें कमी आए तो जबरन ढोते रहने के बजाय इस रिश्ते को आसानी से उसके स्वाभाविक अंजाम की ओर बढ़ने दिया जाए ताकि उसके बाद भी जीवन किसी के लिए बोझ न बने? संभवतः इसी सोच और भावना के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अहम फैसले में कहा था कि एडल्टरी सिविल ऑफेंस का आधार जरूर हो सकता है, इसे तलाक का आधार बनाया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जा सकता। हमें समझना चाहिए कि भारतीय समाज एक निरंतर गतिशील समाज है। तभी यह पांच हजार वर्षों की अपनी परंपरा के साथ आगे बढ़ता रहा है। विवाह या किसी भी संस्था की कथित पवित्रता के नाम पर इस समाज की गति को अवरुद्ध करने की जानी अनजानी कोशिशों से हमें खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है।

सम्मान एवं निष्पक्ष व्यवहार

मरीज के अधिकार

- मरीज को बगैर किसी भी राष्ट्रीयता, सामाजिक, आर्थिक, धर्म, लिंग, जाति, अपंगता एवं भौगोलिक मूल आदि भेदभाव के उपचार कराने का अधिकार है।
- मरीज को हर समय हर परिस्थिति में सम्मान के साथ इलाज का अधिकार है।

गोपनीयता एवं गरिमा

- मरीज को जॉच (स्वास्थ्य परीक्षण) के दौरान गोपनीयता का अधिकार।
- अपने डॉक्टर से परामर्श के दौरान गोपनीयता का अधिकार।
- मरीज के इलाज के दस्तावेज गोपनीय रखने एवं अधिकृत स्वास्थ्य कर्मी द्वारा देखे जाने का अधिकार।
- मरीज को जॉच के दौरान समान लिंग के व्यक्ति को साथ में रखने का अधिकार।

सुरक्षा एवं सहमति

- मरीज को सुरक्षा के साथ अस्पताल में रुकने एवं इलाज, परीक्षण कराने का अधिकार।
- मरीज को उसके द्वारा दी गई लिखित सहमति के बिना जॉच या इलाज (अपवाद आकस्मिक/असक्षम) स्थगित करने का अधिकार।
- मरीज को भाषा की समस्या में अनुवादक की मदद का अधिकार।

अपने स्वास्थकर्मी की पहचान

- मरीज को अपने डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी की पहचान एवं योग्यता की जाँच का अधिकार।

उपचार की जानकारी

- मरीज को अपनी भाषा में बीमारी संबंधित संपूर्ण एवं वर्तमान स्थिति एवं बीमारी में सुधार की स्थिति को जानने का अधिकार।
- मरीज को अपनी बीमारी संबंधित सभी जानकारी देने के पश्चात् डॉक्टर को आगे के इलाज (या बीमारी संबंधित शोध) में सहयोग करने का अधिकार।
- मरीज को कानून के दायरे में अपने डॉक्टर के नैतिक एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुए इलाज के लिए सहमति या असहमति देने का अधिकार।

द्वितीय परामर्श का अधिकार

- मरीज को अपने प्राथमिक चिकित्सक की अनुमति के बिना अपनी बीमारी संबंधित द्वितीय परामर्श लेने का अधिकार।

शिकायत एवं निवारण का अधिकार

- मरीज को प्राप्त सभी सुविधाओं का विस्तृत बिल प्राप्त करने का अधिकार।
- मरीज को किसी भी ऊपर लिखित अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में शिकायत करने की प्रक्रिया, उसकी निष्पक्ष एवं शीघ्र सुनवाई प्राप्त करने का अधिकार।

मरीज की जिम्मेदारियाँ

उपचार अनुपालन /नियम

- आप अपने डॉक्टर को आपके वर्तमान एवं पूर्व की कोई भी बीमारी, सर्जरी, दवाओं के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
- आप अपनी मेडिकल जांचें/दस्तावेज डॉक्टर की सुविधा अनुसार क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रखेंगे।
- आप अपने डॉक्टर द्वारा दिये गए उपचार का पालन करेंगे एवं उपचार करने वाले स्वास्थ कर्मियों का सहयोग करेंगे।
- आप अपने डॉक्टर द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में पूरी तरह से स्वयं ज़िम्मेदार होंगे एवं किसी भी संदेह व अतिरिक्त जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर को समय पर सूचित करेंगे।
- आप अपनी बीमारी की स्थिति में सुधार या अन्यथा की स्थिति की जानकारी डॉक्टर को समय पर देंगे।
- आप निश्चित की गयी परामर्श तिथि व समय पर पहुँचने में असमर्थ होने पर अपने डॉक्टर को पहले से सूचित करेंगे ।

अस्पताल एवं स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति सम्मान के साथ आपकी ज़िम्मेदारियाँ

- आप अस्पताल की संपत्ति का सम्मान करेंगे।
- आप अन्य मरीजों के अधिकारों एवं संपत्ति का सम्मान करेंगे।
- आप अपने अस्पताल के सभी डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल एवं अस्पताल में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों के अधिकार व संपत्ति का सम्मान करेंगे।

मरीज के बिल के प्रति

- यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि उपचार के अग्रिम खर्च जो बताए गये हैं को वहन करेंगे एवं अपने बिल का भुगतान समय पर करना सुनिश्चित करेंगे।
- आपके उपचार में खर्च हो रही धनराशि को समय पर जमा करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। अगर आपने स्वास्थ्य बीमा कराया है तो उससे सम्बंधित सभी जानकारी और दस्तावेज जमा कराना व अपडेट कराना आपकी ज़िम्मेदारी होगी।

जीवन शैली के प्रति

- आप अपने स्वास्थ्य के प्रति अपनायी गई जीवनशैली और उसके परिणाम के लिए स्वयं ज़िम्मेदार होंगे।

कविता :

दर्द

दरकते हैं पत्थर भी,उसे भी दर्द होता है
जमीं बेज़ार पहले ही आस्मां भी रोता है.

सपन उम्मीद के होते, जिनकी आँखों मैं
कब चैन से रहता,कब रातों को सोता है.

चले आओ,अब दरवाजे में सांकल नहीं
कुछ पास रहे जिसके, वही तो खोता है.

शायद कभी सब्ज़ रही हो,जमीं उसकी
हो गई ऊसर वो, बीज फिर भी बोता है.

आज के हालात में जब कुछ नहीं बचा
सूरज तलाशता और अंधियार ढोता है.

दर्द दुआ औ दिल से फ़क़ीर बन जाए
मुफ़लिसी में भी कोई अमीर बन जाए.

जिस विराने में दफ़्नाई गई यादें सारी
वो बियाबान हमारी,जागीर बन जाए.

है फिर कोई टूटा सितारा आस्मान से
शायद वही अपनी तक़दीर बन जाए.

बड़ी बेचैनी, बहुत बेक़रारी है अब तो
मौत ज़िंदगी की एक नज़ीर बन जाए.

जिस सिम्त भी देखें या मूंद लें आँखें
बार बार उसकी ही तस्वीर बन जाए.

वक्त के भी होते हैं, कैसे कैसे तमाशे
एक भूल,प्यादा भी वज़ीर बन जाए

किस तरह, अब संभले लोग
हैं इतने सारे अब गंदले लोग.

पत्थर जैसे निर्मम हैं कितने
किस मौसम में पिघले लोग.

कितनी बार उठे हैं, गिरकर
जाने फिर कब संभले लोग.

मौत से बदतर जीवन होता
पर जीने को ही मचले लोग.

ऊँचे ऊँचे बस सपने पाले है
सड़को के सारे कंगले लोग.

नासमझों सी बातें करता है
होते सब कितने पगले लोग.

खुद है खेतों में आग लगाई
हैं शहर बसाने निकले लोग.

फुटपाथों में ही जीते आए
जो रोज बनाते बंगले लोग.

वाणिज्य कर विभाग जालसाजों का अड्डा

वर्षों से एक ही स्थान पर जमे अनेकों अधिकारी

मध्य प्रदेश वाणिज्य कर विभाग के मंत्री, प्रधान सचिव, आयुक्त से लेकर नीचे तक अधिकांश अधिकारी अपने मोटे लाभ के लिए और करदाताओं को बचाने शासन को राजस्व की हानि पहुंचाने के लिए कुख्यात रहे हैं बेशक यह कहानी केवल मध्यप्रदेश के वाणिज्य कर विभाग की ही नहीं, इंद्र के आयकर जीएसटी कस्टम एक्साइज से लेकर नगर निगम पालिकाओं परिषदों पंचायतके साथ विद्युत, दूरसंचार सेवा प्रदाता संचार कंपनियों, हर जिले के राजस्व विभाग, पंजीयन, परिवहन, खनन, पर्यावरण, वन, रेलवे आदि से लेकर दुनिया के हर कर विभाग की एक जैसी कहानी होती है जहां जनता से राजस्व आगम वसूली के नाम पर, वहां बैठे घर भ्रष्ट जालसाज अधिकारी कर्मचारी अपनी मोटी कमाई के लिए निर्धारित कानूनों का उल्लंघन, या उसकी अपनी तरह से व्याख्या कर, छेद ढूंढ कर, कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र कर एक तरफ दाता को लाभ पहुंचा कुल राजस्व हानि का 10ए 20 पूरा 70से 100% तक पैसा लेकर हजम कर जाते हैं। नीचे से लेकर ऊपर कर आयुक्त प्रधान सचिव मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। इसलिए एक ही जिले में एक ही स्थान पर भ्रष्ट मक्कार, कामचोरों, बहाने बाजों, तन, मन, धन से सेवाएं देने वालों भ्रष्टाचार से वसूली करने वालों को शासन के स्पष्ट नियम और आदेशों के बावजूद, अनेकों आरोपों, जांचों, कानून के उल्लंघन वसूली की शिकायतों के भ्रष्टाचारियों को विभिन्न माध्यमों बहानों से स्थापित कर पाला, पोसा जाता है। इसमें भी यदि इन सब सद्गुणों से युक्त महिला समर्पित कर्मचारी अधिकारी हों। तो सारे कानून स्वमेव ही औचित्य भाषा व क्षमताहीन हो जाते हैं। इसके विपरीत

ईमानदार मेहनतकश कर्मचारियों अधिकारियों को लगातार यहां से वहां किसी भी बहाने साल 2 साल 3 साल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगर यह सारे शास्त्रीय सद्गुणों युक्त पुरुष कर्मचारी अधिकारी अपने ही मातहत, समकक्ष कर्मचारियों, उच्च अधिकारियों के लिए वास्तविक जीवन में सबकी आंख के कांटे होने के साथ कभी भी उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया जाता। ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों से सब ही जनता के साथ अपने ही विभाग के चमकने के साथ ही गरियाते रहते हैं। उन्हें जिंदगी में वर्षों की सेवा के बाद में भी न पदोन्नतियां

चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशों के बाद में भी अधिकारियों के 12-15 साल के बाद भी स्थानांतरण नहीं

मिलती है ना प्रभार, क्योंकि प्रदेश में प्रभार का अवसर भी उसी को मिलता है। जो भ्रष्टाचार से मोटी वसूली कर प्रभार का प्रभार चुकाता है।

जिसकी सैकड़ो कहानियां आप ऐसे आइ ए एस अधिकारियों से लेकर नीचे कर्मचारियों तक की दैनिक समाचारपत्रों में भी बरसों से पढ़ते रहते होंगे।

बेशक ऐसे भ्रष्ट जालसाज मक्कार कामचोर वाचाल अधिकारियों को सबसे ज्यादा डर सूचना अधिकार के आवेदनों से लगता है इसलिए वह कोशिश करता है कि वह आवेदक को डरा धमकाता हुआ वाचालता के दम पर आवेदन न देने से ही रोक दें। आवक जावक करने वाले कर्मचारियों को पद बल के दम पर डरा धमकाकर आवेदन लेने कमी या गलती के आधार पर मना कर भगा दें। इन सब के बाद में भी आवेदक अड़ा रहा। तो संबंधित बाबू कर्मचारी आवेदन लेकर रख लेता है कि जब साहब आएंगे तब उनसे पूछ कर आपको पावती दूंगा। अगले सप्ताह आना। समय और धन बर्बाद कर चक्कर काटते काटते आवेदन वापस ले ले और यह अपनी जालसाजी से वसूली व भ्रष्टाचार की सच्चाई को छुपाने में कामयाब हो जाएं। परंतु इन सब के बाद भी आवेदक आवेदन देने के लिए हर रहे और लेना मजबूरी बन जाए तो उसके बाद बिना किसी दस्तावेज को देखें ये जालसाज हरामखोर अधिकारी जानकारी न देने के लिये सूचना अधिकार अधिनियम की शासकीय कार्यों में पारदर्शिता की भावना का गला घोंटते, धारा 7 के अंतिम बिंदु की अंतिम पंक्ति की स्पष्ट व्याख्या जिसमें लिखा गया है कि जो भी जानकारी आप लोकसभा और विधानसभा में देने के लिए बाध्य हैं वह सब जानकारी आप आवेदक को भी देने के लिए बाध्य हैं। साथी आपको जो जानकारी जिस रूप में है उसकी छाया प्रतियां निकटतम मांगी गई जानकारी के अनुरूप जिस रूप में है, देना चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि अधिकारी अगर इमानदार है और देने की इच्छा रखता है तो वह आवेदक को बुलाकर समझ कर चाहे गई जानकारी की छाया लिपियां या यदि जानकारी धारा चार के अंतर्गत कानून में वर्णित 17 बिंदुओं जिसमें बाद में आठ बिंदु सन 2012 में भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा जोड़ी गई कल 25 बिंदुओं की जानकारियां समय आपको अपने विभाग के विश्व व्यापी मकड़जाल की अधिकृत नाम वाली दर्शिका या साइट पर स्वमेव ही उपलब्ध करवा दी जानी चाहिए। ताकि अधिनियम की धारा 4 की व्याख्या व दर्शित बिंदुओं के अनुकूल आवेदक स्वयं बिना किसी आवेदन के और सूचना के एकत्रित कर विश्लेषण कर सके।

परंतु इस घोर भ्रष्ट जालसाज विभाग ने 18 साल गुजर जाने के बाद में भी 25 बिंदुओं की जानकारी अपने खरीदी, कर बसूली के, कर्मचारियों अधिकारियों के व्यक्तिगत शैक्षणिक योग्यता जिन आधारों पर जाति, मूल निवासी, स्कूली शिक्षा आदि प्रमाण पत्रों, कब अप विभाग में उपस्थिति दी कहां-कहां, किन पदों पर नौकरी की व अन्य विवरण के साथ अपलोड की जानी चाहिए थी परंतु भ्रष्टों ने न हीं अपने भ्रष्टाचार का सच छुपाने जानकारी ना तो दी जाती है और ना ही अपलोड की जाती है। आवेदन देने पर आवेदन लेने से मना करने के साथ आवेदकों के साथ विवाद कर कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा अपमान किए जाने बदतमीजी दिखाने डराने धमकाने के साथ अभिनंदन लेने पर बाद में पहले आवेदन वापस लेने के लिए विवश किया जाता है। जवाब देने के नाम पर विभिन्न बहाने बता

कानून में केवल पत्रोत्तर में शुल्क की जानकारी देने की अपेक्षा कानून की कार्यों में पारदर्शित की मंशा को कुचल अपने पद के अहंकार में सीधे ही आदेश पारित कर दिए जाते हैं।

जैसे जन कानूनों का पालन करने की अपेक्षा कानून का उल्लंघन करना धज्जियां बिखेरना, जिस जनधन से हरामखोरों को वेतन भत्ते गाड़ियां मिल रही हैं। उन सब का मजाक उड़ाते हुए अपने भ्रष्टाचार जालसाजियों को छुपाने निरर्थक दलीलें देकर जवाब की अपेक्षा आदेश पारितकर खारिज कर दी जाती हैं। जैसे सारे कानून, सरकारी दस्तावेज, सब

उनके बाप की जागीर हों। अपील लगाने पर, जो कि संबंधित लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी को की जानी चाहिए। संभागीय उपयुक्त को आवेदन करने पर संभागीय उपायुक्त को ही इन्हेंने उसका अपीलीय अधिकारी बना रखा है।

स्वाभाविक है वह अपने खिलाफ की गई अपील को तो खारिज ही करेगा दूसरी तरफ वाणिज्य करके व्रत की अपील उनके उपाय को करने पर वहां बैठे घोर भ्रष्ट जालसाज उपायुक्त स्तर के अधिकारी, अपने अधीनस्थ कार्यरत वृत्त के सहायक आयुक्त वाणिज्य कर अधिकारियों को बुलाए बिना ही अपने मन से ही फैसला दे देते हैं।

यहां बैठा घोर निकम्मा भारतीय प्रताड़ना सेवा चयनित आयुक्त लोकेश जाटव, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मोटी वसूली करने, कर चोरी करवाने, अपने ही विभाग की 6 एटीइवेजन ब्यूरो की टीम को निकम्मा सिद्ध करने, अरबो रुपए की राजस्व की हानि करवानीमाल वाहकों को पकड़ने की शक्तियां व अधिकार पिछले 2 साल से नहीं दे रहा जो जोकि जीएसटी के अंतर्गत संयुक्त आयुक्त के पास हैं। अपने पास रखकर एक तरफ भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ अपने ही विभाग के बरसों से कुंडली मारे बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहा है उसके भ्रष्टाचार की कानून का उल्लंघन की सच्चाई को बार-बार छापने के बाद में भी यह हरामखोर ना तो पूछताछ करता है ना ही कोई कार्यवाही करता है तो समझा जा सकता है कि विभाग में जालसाजियों व भ्रष्टाचार का स्तर किस उच्च स्तर पर है नीचे जो दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगाई जा रही है वह सूचना के अधिकार के जवाब में दिए गए हैं जिसमें जालसाज उपायुक्तों ने हीं जिस तरीके से कानून का उल्लंघन करते हुए, अपने को कृतियों को छुपाने बिना नाम के हस्ताक्षर किए हैं। ताकि सच्चाई सामने ना आए। सूचना आयोग हर वर्ष पूरे विभाग में कितने आवेदन आये क्या कार्यवाही की, तुमको जवाब दिए दस्तावेज देने के बदले में कितने पैसे जमा हुए कितनी अपील आई क्या निराकरण किया सब की जानकारी मांगता है पर सूचना आयोग में भी आय के योग से लिए बैठाए गए ढेड़ भी सत्ता का सुख भोग औपचारिकता हीं पूरी कर कार्यकाल पूरा करते हैं।

जबकि है आयोग का ही काम था कि वह देखें की सभी शासकीय विभागों ने धारा 4 के अंतर्गत 25 बिंदुओं की जानकारियां अपलोड की है या नहीं नहीं की है तो उनके विभाग प्रमुखों को धराचंद कर की जानकारी साइट पर डालने आद्यतन करने के लिए कहा जाए न करने पर चेतावनी दी जाए।

वही हाल सूचना के अधिकार में भी संभाग स्तर के बताए गए सूचना आयुक्त को जाकर शासकीय विभागों में जांचना चाहिए कि कितने आवेदन आए कितनो में क्या जवाब दिया कितनों को जानकारी दी। पर वह जनधन से मौज मस्ती उड़ाने वाले भूखेरे सूकर आवेदकों को परेशान करने और अनावेदकों को बचाने से मोटी वसूली करने में मस्त रहकर संविधान की शासकीय कार्यों में पारदर्शिता की हत्या करने में लगे हुए हैं।

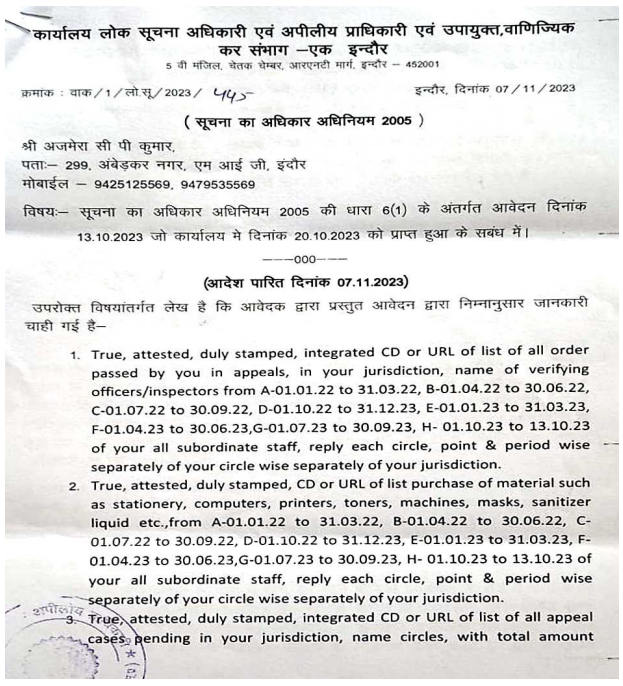

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी एवं उपायुक्त,वाणिज्यिक कर संभाग –एक इन्दौर
5 वी मंजिल, चेतक चेम्बर, आरएनटी मार्ग, इन्दौर – 452001

क्रमांक : वाक/1/लो.सू./2023/ 445   इन्दौर, दिनांक 07/11/2023

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

श्री अजमेरा सी पी कुमार,
पताः– 299, अंबेड़कर नगर, एम आई जी, इंदौर
मोबाईल – 9425125569, 9479535569

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन दिनांक 13.10.2023 जो कार्यालय मे दिनांक 20.10.2023 को प्राप्त हुआ के सबंध में।

–––000–––

(आदेश पारित दिनांक 07.11.2023)

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन द्वारा निम्नानुसार जानकारी चाही गई है–

1. True, attested, duly stamped, integrated CD or URL of list of all order passed by you in appeals, in your jurisdiction, name of verifying officers/inspectors from A-01.01.22 to 31.03.22, B-01.04.22 to 30.06.22, C-01.07.22 to 30.09.22, D-01.10.22 to 31.12.23, E-01.01.23 to 31.03.23, F-01.04.23 to 30.06.23,G-01.07.23 to 30.09.23, H- 01.10.23 to 13.10.23 of your all subordinate staff, reply each circle, point & period wise separately of your circle wise separately of your jurisdiction.
2. True, attested, duly stamped, CD or URL of list purchase of material such as stationery, computers, printers, toners, machines, masks, sanitizer liquid etc.,from A-01.01.22 to 31.03.22, B-01.04.22 to 30.06.22, C-01.07.22 to 30.09.22, D-01.10.22 to 31.12.23, E-01.01.23 to 31.03.23, F-01.04.23 to 30.06.23,G-01.07.23 to 30.09.23, H- 01.10.23 to 13.10.23 of your all subordinate staff, reply each circle, point & period wise separately of your circle wise separately of your jurisdiction.
3. True, attested, duly stamped, integrated CD or URL of list of all appeal cases pending in your jurisdiction, name circles, with total amount

disputed in appeal from A-01.01.22 to 31.03.22, B-01.04.22 to 30.06.22, C-01.07.22 to 30.09.22, D-01.10.22 to 31.12.23, E-01.01.23 to 31.03.23, F-01.04.23 to 30.06.23,G-01.07.23 to 30.09.23, H- 01.10.23 to 13.10.23 of your all subordinate staff, reply each circle, point & period wise separately of your circle wise separately of your jurisdiction.

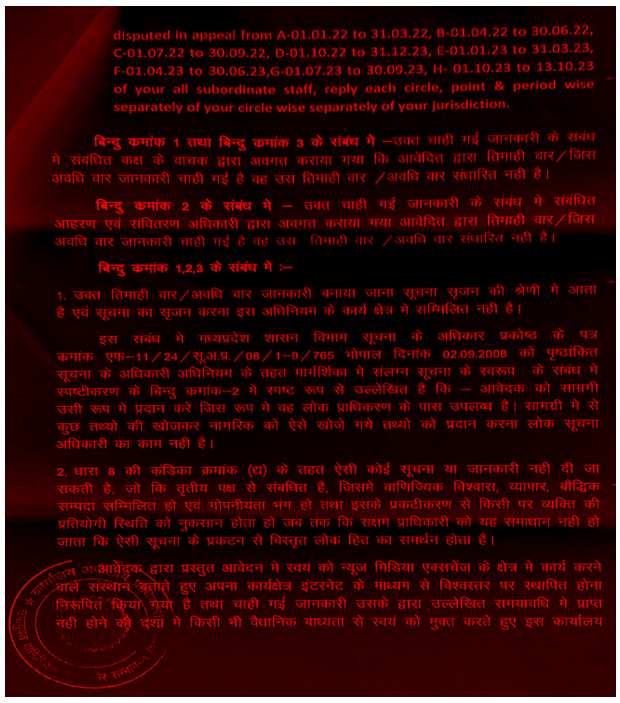

बिन्दु कमांक 1 तथा बिन्दु कमांक 3 के संबंध मे –उक्त चाही गई जानकारी के संबंध मे संबंधित कक्ष के वाचक द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदित द्वारा तिमाही वार/जिस अवधि वार जानकारी चाही गई है वह उस तिमाही वार /अवधि वार संधारित नही है।

बिन्दु कमांक 2 के संबंध मे – उक्त चाही गई जानकारी के संबंध मे संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया आवेदित द्वारा तिमाही वार/जिस अवधि वार जानकारी चाही गई है वह उस तिमाही वार /अवधि वार संधारित नही है।

बिन्दु कमांक 1,2,3 के संबंध मे :–

1. उक्त तिमाही वार/अवधि वार जानकारी बनाया जाना सूचना सृजन की श्रेणी मे आता है एवं सूचना का सृजन करना इस अधिनियम के कार्य क्षेत्र मे सम्मिलित नही है।

इस संबंध मे मध्यप्रदेश शासन विभाग सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ के पत्र कमांक एफ–11/24/सू.अ.प्र./08/1–9/765 भोपाल दिनांक 02.09.2008 को पृष्ठांकित सूचना के अधिकारी अधिनियम के तहत मार्गर्शिका मे संलग्न सूचना के स्वरूप के संबंध मे स्पष्टीकरण के बिन्दु कमांक–2 मे स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि – आवेदक को सामग्री उसी रूप मे प्रदान करें जिस रूप मे वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री मे से कुछ तथ्यो की खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।

2. धारा 8 की कंडिका क्रमांक (घ) के तहत ऐसी कोई सूचना या जानकारी नही दी जा सकती है, जो कि तृतीय पक्ष से संबधित है, जिसमे वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, बौद्धिक सम्पदा सम्मिलित हो एवं गोपनीयता भंग हो तथा इसके प्रकटीकरण से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो जब तक कि सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान नही हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता हैं।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन मे स्वयं को न्यूज मिडिया एक्सचेंज के क्षेत्र मे कार्य करने वाले संस्थान बताते हुए अपना कार्यक्षेत्र इंटरनेट के माध्यम से विश्वस्तर पर स्थापित होना निरूपित किया गया है तथा चाही गई जानकारी उसके द्वारा उल्लेखित समयावधि मे प्राप्त नही होने की दशा मे किसी भी वैधानिक बाध्यता से स्वयं को मुक्त करते हुए इस कार्यालय

अभिलेखो से बिना सत्यापन के अपने माध्यम से एकत्र जानकारियों को लिखने या प्रकाशित करने की चेतावनी भी दी गई है। आवेदक द्वारा स्वयं को चीफ एडिटर बताते हुए साप्ताहिक न्यूज पेपर समय–माया के प्रकाशन किये जाने का उल्लेख करते हुए इन्टरनेट के माध्यम से न्यूज, व्यूज, मेटर्स, विडियोक्लिपींग, न्यूज चैनल्स, न्यूज पेपर्स एवं एजेन्सी को सप्लाई करने की जानकारी भी दी गई है। उक्त जानकारी व्यवसाईयों के वाणिज्य, प्रतियोगी स्थिति, शासन को जमा कर, शासन को प्राप्त राजस्व तथा विकास से संबंधित है। जिसका उपयोग दुर्भावना वश किया जा सकता है।

इससे प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी का उपयोग अपनी साप्ताहिक पत्रिका हेतु व्यवसायिक तौर पर किये जाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकारी के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जबकि अधिनियम की मंशा अनुसार सूचना के अधिकार का व्यावसायिक उपयोग किया जाना निषेध है।

आवेदक यहां यह स्थापित करने में सक्षम नही है कि इस जानकारी के प्रकटन से वृहत् लोकहित संबंधित है।

3. समग्रतः आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी आवेदक के वांछित अवधि अनुसार संधारित नही होने तथा अत्यधिक विस्तृत होकर एक ही आवेदन पर अनेक विषय से संबंधित होने एवे व्यापक लोकहित से सम्बद्ध नही होने के कारण उपलब्ध नही कराई जा सकती।

इस आदेश से व्यथित होने की अवस्था मे आवेदक विहित समय में, अपीलीय प्राधिकारी (संलग्न पत्रानुसार–कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त मध्यप्रदेश इंदौर के पत्र कंमांक 31/वाक./5/4–एफ/सु.अ./110 दिनांक 07.06.2022), के समक्ष विहित प्रकिया अनुसार अपील कर सकते है।

तदनुसार आदेश पारित। समय सीमा मे आवेदक को निर्वाह हो।

लोकसूचना अधिकारी एवं अपीलीय
प्राधिकारी एवं उपायुक्त,वाणिज्यिक कर
संभाग – एक, इन्दौर

कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर

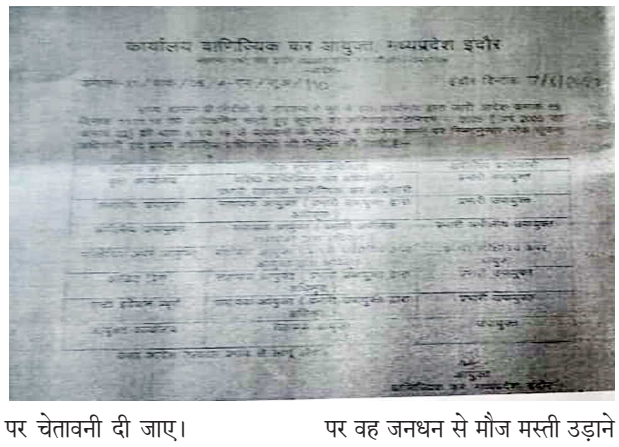

साप्ताहिक समय माया

मनमर्जी के शुल्क ठोक की जा रही है अवैध वसूली

दो पहिया, चार पहिया वाहन विक्रेता कर रहे लूट का तांडव

परिवहन एजेंट, बीमा, रखरखाव, अन्य सामग्री आदि शुल्क की वसूली से लूट

पूरे देश भर में ट्रक कार बस दो पहिया वाहन विक्रेता डीलर डिस्ट्रीब्यूटर क्रेताओं को कैसे उठाते हैं इसकी हाल ही में जानकारी प्राप्त हुई। यदि क्रेता बैंकों, वित्तीय संस्थानों के वित्तीय सहयोग या ऋण से क्रय कर रहा है, कोई है लूट और भी बढ़ जाती है। जिसकी कीमत और ब्याज मिलाकर क्रेता को दोगुनी से तिगुनी चुकानी पड़ती है। पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में भेड़िया झुंड पार्टी के शासन ने प्रदेश के सरकारी विभागों को हर तरह से घर भ्रष्ट और जालसाजी करने के अवसर के साथ कर्मचारियों की भर्ती न करने से जनता के साथ खुली लूट डकैती होने लगी व जनता इन जालसाज डकैत मुख्यमंत्री अपराधिक प्रवृत्ति के शिवराज जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मोटा धन लेकर नाच रहा है अब परिवहन विभाग में नगद की रसीद नहीं कटती, सारे नगद के काउंटर बंद कर दिए गए। जिससे सारी जानकारी वहां कविता की ऑनलाइन हो जाने के साथ हैकर्स वाहन चोरों वित्तीय संस्थान, विश्व व्यापी सूचना मकड़जाल के समंक विश्लेषकों के साथदुनिया भर के अन्य संस्थाओं के लिए आसानी से उपलब्ध करवाने और वाहनों की खरीद पर पंजीयन मार्ग शुल्क कर जमा करने का काम भी यहां विक्रेता वितरकों को मोटा पैसा लेकर लूटने के लिए सौंप दिया गया है। अब शासकीय परिवहन विभाग के करों के अतिरिक्त दो पहिया वाहनों पर 1 से 2000 की की वसूली के साथ चार पहिया वाहनों परकारों से लेकर ट्रक-बस आदि पर 5 से रु. 10000 तक की तक की एजेंट कार्य के नाम पर अतिरिक्त वसूली की जाती है खुले में बोला जाता है परिवहन विभाग के एजेंट के साथ विभाग के कर्मचारियों को भी पंजीयन का धन देना पड़ता है अब यह दो पहिया वाहनों पर 1000 से 2000 और कारों से ट्रक बसें तक के वास्तविक परिवहन शुल्क के अतिरिक्त 5 से रु. 10000 तक अतिरिक्त वसूल करना जिस पर जितनी ज्यादा किस्त होगी उतना ज्यादा ब्याज वसूला जाएगा जिसका भार सीधा क्रेता पर आता है वित्तीय संस्थानों से लिए धन का 5 से 10000 का किस्तों के कारण अनावश्यक डेढ़ से दोगुना धन क्रेता की किस्तों में जुड़ जाता है। जब घर भ्रष्ट जालसाज डकैतों के अड्डे परिवहन विभाग से इसके संबंध में बातचीत की गई। तो उनका स्पष्ट कहना था की सरकार ने कर्मचारी निरीक्षण अधिकारियों की भर्ती ही नहीं की जिसके कारण स्टाफ की अत्यधिक कमी होने के कारण एक तरफ नगद के कैश काउंटर बंद करने पड़े। तो दूसरी तरफ यह काम इस विभाग के कर्मचारियों को करना चाहिए था संतों के हाथ में पहुंच गया और बाहर से नगद ऑन लाइन जमा करने के नाम पर हर कर्मचारी सारी फाइलें परिवहन विभाग को सारे शुल्क जमा करने के बाद केवल भौतिक रूप से सारे कागजों को सत्यापन और प्रविष्टि करने के नाम पर फाइल जमा करके आता है।

यही हाल वहां की बीमा के नाम परउनका ही एक कर्मचारी या घर के किसी भी सदस्य के नाम से जो किसी भी देसी विदेशी बीमा कंपनी की एजेंसी लेकर चूंकि थोक के भाव में सीधे बीमें मिलते हैं। कमीशन भी 20% की अपेक्षा 30 से 40% का सौदा कर के यह काम उसके अवैध अधिकृत अभिकर्ता हर सौदे पर 100 से रु. 200 ज्यादा वसूलते हैं। बिशप वहां विक्रेता हर वाहन बिक्री के ऊपर दो पहिया पर आधा शुल्क जो उसने ग्राहक से वसूला है एजेंट को देता है। यह उसका ही रुपए 10-12000 प्रति माह का बीमें करता है। इस प्रकार से सीधे दिन में भी मोटा कमीशन वहां विक्रेता डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हजम कर जाता है अब चुकी 32संस्थान से कर्ज लेने के कारण जो भी वाहन विक्रेता बोलता है। चुकाने के लिए मजबूर होता है। थिस में विदेशी कंपनियों की एंट्री के बाद मेंउन्होंने मोटा पैसा रिजर्व बैंक बीमा नियामक आयोग वित्त मंत्रालय को खिलाकर इन बीमा की जलसा कंपनियों ने अलग-अलग कई शर्तें जोड़कर जिसमें तृतीय पक्ष की दुर्घटना का 5 वर्ष का बीमा, दुर्घटना में स्वयं को चोट लगने पर स्वयं का 1 वर्ष का जिसे व्यक्तिगत दुर्घटना क्षतिपूर्ति कहा जाता है। इन सबके अतिरिक्त चोरी जाने, चोरों आतंकी द्वारा लूट, छुड़ा लेने क्षतिग्रस्त होने पर 1 वर्ष का, बाढ़, भूकंप, मारधाड़, लड़ाई झगड़ों, आतंकी घटनाओं, युद्ध आक्रमण आदि में क्षतिग्रस्त, टूट फूट होने की दुर्घटनाओं का अलग से बीमा ऐसी अनेकों शर्तों व गुमने के बीमे के लिए अतिरिक्त शुल्क संग्रहण का षड़यंत्र किया और जो पहले सबका एक ही बीमा होता था। अब इन सबके कवर करने के लिए क्षतिपूर्ति एक ही बार दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के एकत्रित शुल्क देना होता था। विदेशी बीमा कंपनियों के भारत में प्रवेश के बाद जो उन्होंने मोटा धानभारत में व्यवसाय करने के लिए दिया थाउसकेधन की वसूली के साथ मोटा लाभ कमाने के लिए विभिन्न षडयंत्रों से बहाने बनाकर क्षतिपूर्ति देने से स्पष्ट मना कर दिया। वहां विक्रेता को तो बीमा में भी मोटा कमीशन और वसूली चाहिए इसलिए वह वाहन मालिक इस पर उंगली ना उठाएं बहुत सारी बीमा को कर ही नहीं करती

और मोटा शुल्क लगाकर अपना मोटा कमीशन हजम कर जाती हैं। दुर्घटना होने पर वाहन मालिक को बीमा ना पड़े इसलिए बीमा कंपनियां हर तरह के षडयंत्र कर बहुत सारी आपवादिक शर्तों आम वहां करता के समझ में नहीं आती क्षतिपूर्ति देने से ये देसी विदेशी बीमा कंपनी स्पष्ट मना कर देती हैं। जिसमें भारत के बीमा नियामक आयोग में बैठे जालसाज अधिकारियों का का मोटा कमीशन खाकर भारी सहयोग रहता हैपर बेचारा वहां विक्रेताओं से बीमा करने के नाम पर लुटता भी है और क्षति होने पर उसे क्षतिपूर्ति भी नहीं मिलती। बिना बीमा और पंजीयन की मनचाही वसूली की राशि बिना वहां बाहर नहीं निकाला जाता। इसके साथ ही वाहन डीलर विक्रेता डिस्ट्रीब्यूटर वहां की सीट कवर, सुरक्षा उपकरण, सजावट सामग्री आदि के नाम पर भी जो सामान बिक्री करते हैं डिनर लेना आवश्यक होता हैउसे पर भी मनचाही 30 से 70% तक की लूट की जाती है। ऐसी किसी भी सामग्री का बीमा में ना तो कर किया जाता हैना उसका कोई बीमा मिलता है परंतु 2 से 5% तक ऐसा समान जोड़कर नए वाहन विक्रेता वसूली अवश्य कर लेता है। ऐसी लूट को रोकने के लिए वित्तीय संस्थानों बीमा नियमक आयोग, भारत के स्वचालित वाहन उत्पादक निर्माता विक्रेता संघ, सरकारी व निजी उपभोक्ता संरक्षक संगठनों को न केवल आवाज उठानी चाहिए वरन ऐसी लूट को शासन द्वारा तत्काल रोका जाना चाहिये।

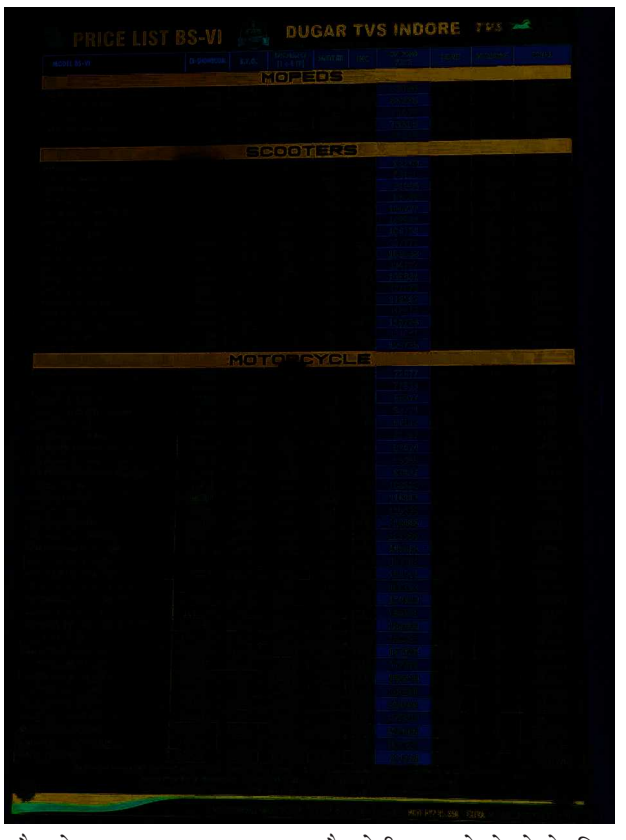

बेशक ऐसी लूट और वसूली जो बीमा पंजीयन अन्य सामग्री की बिक्री अन्य व रख रखाव लाने ले जाने का खर्च आदि को वाहन विक्रेता अलग-अलग फर्मो के नाम से अलग-अलग बिल काटकर वसूलता है। ताकि वाहन विक्रेता के आयकर, जीएसटी व अन्यकर, खातों में वह सब लाभ शामिल न हो।

आखिर ऐसी लूट को रोकने का दायित्व न केवल उपभोक्ता संरक्षण न्यायालयों, समितियों, सरकारी व निजी उपभोक्ता संगठनों का ही है। परंतु इन सभी संस्थानों में भी जालसाज वसूली बाज, लालची व्यक्ति ही बैठते व चलाते हैं। जिनको महीना, तिमाही छमाही या वार्षिक मिलता है। इसलिए वे स्वयं कुछ नहीं करते और शिकायत में मिलने पर वसूली करने का आधार बना कर भी वसूली कर लेते हैं। जनता जो लुटने के लिए पैदा हुई है। लुटती रहती है।

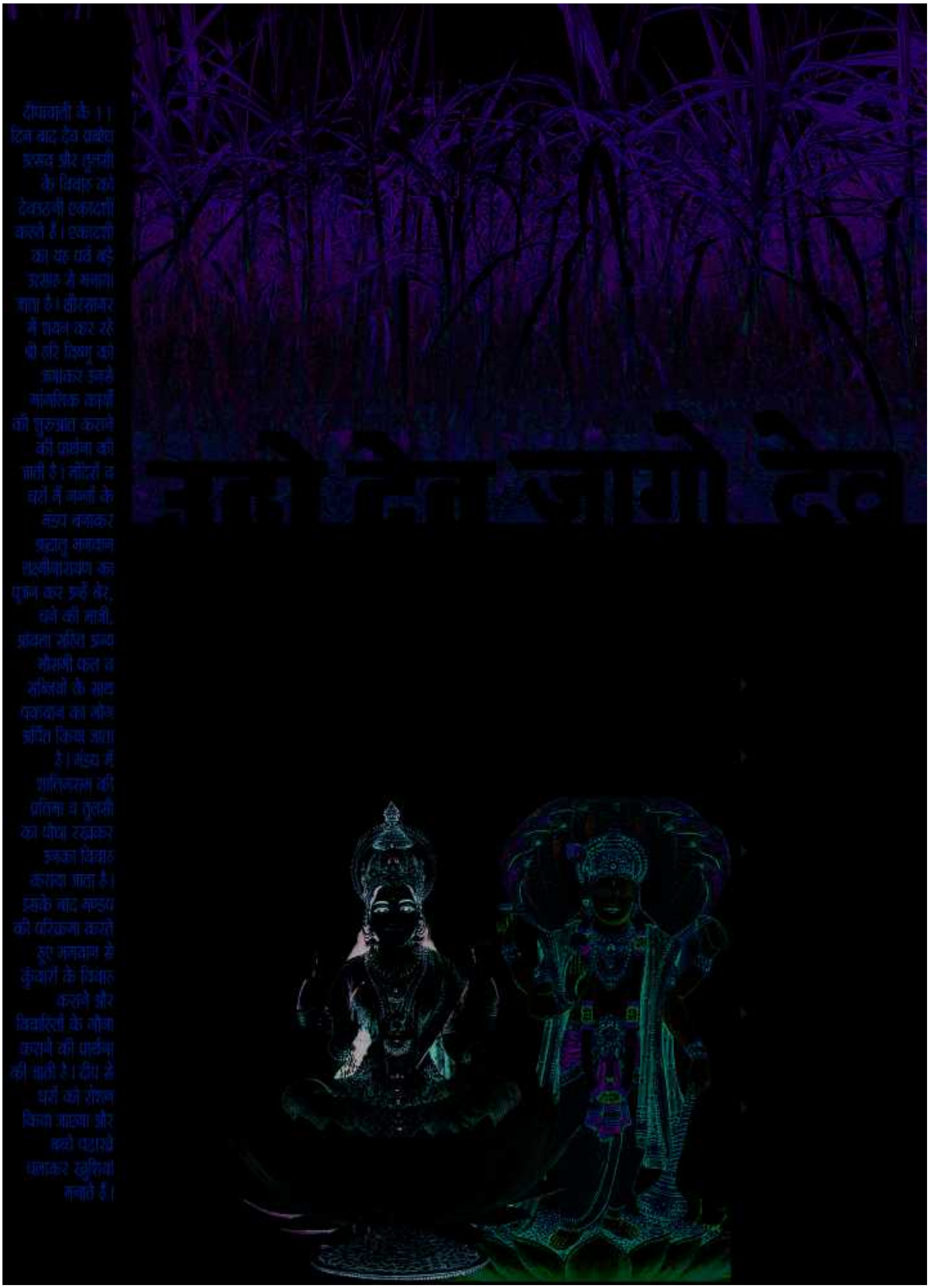

दीपावली के 11 दिन बाद देव प्रबोध उत्सव और तुलसी के विवाह को देवउठनी एकादशी कहते हैं। एकादशी का यह पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। क्षीरसागर में शयन कर रहे श्री हरि विष्णु को जगाकर उनसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने की प्रार्थना की जाती है। मंदिरों व घरों में गन्नों के मंडप बनाकर श्रद्धालु भगवान लक्ष्मीनारायण का पूजन कर उन्हें बेर, चने की भाजी, आंवला सहित अन्य मौसमी फल व सब्जियों के साथ पकवान का भोग अर्पित किया जाता है। मंडप में शालिग्राम की प्रतिमा व तुलसी का पौधा रखकर उनका विवाह कराया जाता है। इसके बाद मंडप की परिक्रमा करते हुए भगवान से कुंवारों के विवाह कराने और विवाहितों के गौना कराने की प्रार्थना की जाती है। दीप से घरों को रोशन किया जाएगा और बच्चे पटाखे चलाकर खुशियां मनाते हैं।

साप्ताहिक समय माया

जाति आधारित जनगणना के मुद्दे से भाजपा कैसे निपटेगी..?

बिहार में 2 अक्टूबर को जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी होने के बाद कई राज्यों में जाति जनगणना की बात शुरू हो गई है. इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं. इसके अलावा कर्नाटक में भी पहले हो चुकी गणना के आंकड़े जल्द ही जारी किए जा सकते हैं. ख़ास बात यह है कि इन सभी राज्यों में बीजेपी विरोधी दलों की सरकारे हैं. यही नहीं सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने फ़ैसला किया है कि कांग्रेस शासित राज्य जनगणना कराएंगे. इससे पहले विपक्षी दलों का गठबंधन 'इंडिया' देशभर में जाति आधारित गणना की मांग कर चुका है और इसे बीजेपी के खिलाफ़ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने में लगा है. जाति आधारित गणना नौकरी और शिक्षण संस्थानों जैसी जगहों में 'संख्या के आधार पर हिस्सेदारी' की बात करता है. तर्क यह दिया जाता है कि इससे ज़रूरतमंदों के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी.

बीजेपी की मुश्किल

लेकिन पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने के लिए जाति आधारित जनगणना और उसी के मुताबिक़ आरक्षण की व्यवस्था पर बीजेपी का मत अलग दिखता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति आधारित गणना पर सवाल उठा चुके हैं. मोदी 'जाति' की जगह ग़रीबी और अमीरी की बात कर रहे हैं.

बिहार में जाति आधारित गणना के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने इसका सीधा विरोध करने की जगह यह भी आरोप लगाया है कि इस गणना में कई दोष हैं, और इसमें कई जातियों की संख्या सही नहीं बताई गई है.

दरअसल बीजेपी को जाति आधारित गणना में अपने परंपरागत हिन्दू वोटों के बिखरने का ख़तरा दिखता है. इसलिए वो खुलकर इसका न तो समर्थन कर पा रही है और न ही विरोध.

सीएसडीएस के प्रोफ़ेसर संजय कुमार कहते हैं, 'बीजेपी क्या, कोई भी पार्टी इसका खुला विरोध नहीं कर सकती, यह ख़तरे से खाली नहीं है. बीजेपी को ओबीसी समुदाय से बड़ा वोट मिलता है, देशभर में इनकी आबादी 52इ के आसपास होगी. इसका विरोध करने से ओबीसी समुदाय के ऐसे वोटर भी नाराज़ हो सकते हैं जो जातिगत सर्वे को लेकर तटस्थ हैं.'

यानी देश की मौजूदा राजनीति फ़िलहाल साल 1990 के दशक के शुरुआती दिनों की तरह नज़र आ रही है. यह मंडल बनाम कमंडल का दौर था.

इस दौरान राजनीतिक तौर पर उठा पटक के अलावा देश के कई इलाकों में आंदोलन हुए और सामाजिक तौर पर भी काफ़ी उथल-पुथल हुआ.

आरएसएस का स्टैंड बदला

वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, 'सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस को लगता है कि 'जाति' तोड़ने का काम करती है. देश और समाज के लिए धर्म और आस्था महत्वपूर्ण होती है न कि जाति.'

'साल 2015 में मोहन भागवत ने आरक्षण विरोधी बात भी की थी, लेकिन उसके बाद संघ भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि इसका एक राजनीतिक मक़सद है.'

उनके मुताबिक़, 'बीजेपी के सामने एक मुश्किल यह भी है कि वह सरकारी पक्ष है. उसके हाँ कहने का मतलब है कि देशभर में साल 2025 की जनगणना जाति के आधार पर करानी होगी और आरक्षण लागू करना होगा.'

'फिर सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50% की जो सीमा तय की है उसे हटाना होगा. इससे तमाम राज्यों में अलग-अलग हालात पैदा होंगे.' बीजेपी फ़िलहाल भले ही इस मुद्दे पर सावधानी बरत रही हो, लेकिन जाति को लेकर उसकी रणनीति हमेशा एक जैसी नहीं दिखती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद को पिछड़ी जाति का बताने से परहेज़ नहीं किया है.

जाति जनगणना और बीजेपी का रुख

वहीं जब पिछले साल बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत सर्वे कराने का फ़ैसला किया था तब बीजेपी भी राज्य सरकार में नीतीश कुमार की साझेदार थी और उसने इसका समर्थन किया था.

राजनीति मामलों के जानकार और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस के पूर्व प्रोफ़ेसर पुष्पेंद्र कुमार कहते हैं, 'ऐसा नहीं है कि बीजेपी जाति की बात नहीं करती है. वो प्रधानमंत्री की भी जाति बताने की कोशिश करती है. जाति की राजनीति के लिए बीजेपी ने पसमांदा मुसलमानों के मुद्दे को उठाने की भी बहुत कोशिश की.'

पसमांदा मुसलमानों में जुलाहे, धुनिया, घासी, क़साई, तेली और धोबी वग़ैरह आते हैं. इन्हें भारत में कथित तौर पर निचली जातियों में गिना जाता है.

साल 2022 में हैदराबाद और जनवरी 2023 में दिल्ली में हुई बीजेपी की दो कार्यकारिणियों में नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर पर पसमांदा मुसलमानों का ज़िक्र किया था.

पुष्पेंद्र कुमार के मुताबिक़, 'बीजेपी में यह बहुत बड़ा विरोधाभास है कि हिन्दुओं के बीच वो धर्म के आधार पर घुसना चाहती है और मुसलमानों के बीच जाति के आधार पर.'

बीजेपी का आरोप

बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े सामने आने के बाद बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि यह दोषपूर्ण और राजनीति से प्रेरित आँकड़े हैं.

बीजेपी का आरोप है कि बिहार में जानबूझकर कई जातियों की आबादी कम और कुछ की ज़्यादा बताई गई है.

बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल आरोप लगाते हैं, 'सरकार ब्लॉक के स्तर पर जातिगत आँकड़े क्यों नहीं जारी कर रही है. इससे दो मिनट में सब पता लग जाएगा. क्या हमलोग (बनिया) 2.3% ही हैं. कौन सा गांव है जहां बनिया नहीं मिलेगा. नालंदा को छोड़कर कुर्मी कहां हैं, लेकिन उनकी आबादी 2.87% बताई गई है.'

उनका दावा है कि बिहार सरकार जिस जातिगत गणना को मास्टर स्ट्रोक बता रही है, वो सबसे बड़ा ब्लैक होल साबित होगा.

दो जातियों को छोड़कर बाक़ी सब इसका विरोध कर रहे हैं; कुशवाहा, अति पिछड़ा, तेली समाज, धानुक, बनिया जैसी कई जातियाँ इसका विरोध कर रही हैं.

हालांकि जेडीयू इस तरह के आरोपों से इनकार करती रही है और जातिगत जनगणना को साल 2024 के चुनावों के लिए राष्ट्रीय मुद्दा बता रही है.

काट खोजने की कोशिश में बीजेपी

विपक्ष के तेवर देख कर अब इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी विरोधी दलों को घेरना शुरू कर दिया है. 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी' के नारे पर बीजेपी पूछ रही है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी क़रीब 17% है तो मुसलमानों को कितनी हिस्सेदारी दी है.

सीएसडीएस के संजय कुमार कहते हैं, 'प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि अगर संख्या की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा संख्या ग़रीबों की है. यानी 'कास्ट' का मुक़ाबला करने के लिए बीजेपी 'क्लास यानी' आर्थिक आधार का सहारा लेगी.

संजय कुमार के मुताबिक, 'बाद में अगले साल जनवरी के महीने में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो उसके इर्द- गिर्द राजनीति शुरू हो जाएगी. और जब यह शुरू हो जाएगा तो हमने पहले भी देखा है कि जाति के मुक़ाबले धार्मिक पहचान ज़्यादा बड़ी है और यह जाति की पहचान को काट देगा.'

यानी मंडल-कमंडल की राजनीति के दौर में जिस तरह बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को लेकर रथ यात्रा पर निकले थे. उसी राम मंदिर का निर्माण इस बार बीजेपी की रणनीति का एक अहम हिस्सा बन सकता है.

दूसरी तरफ पुष्पेंद्र कुमार मानते हैं कि बीजेपी हिन्दू गोलबंदी और राष्ट्रवाद के अलावा पाकिस्तान, चीन से ख़तरा और देश के अंदर कथित तौर पर अर्बन नक्सल जैसे मुद्दे को भी अपनी रणनीति का हिस्सा बना सकती है.

बीजेपी की बात करें तो फ़िलहाल उसके नेता ग़रीबों के लिए बनाई गई नीतियों और योजनाओं के दम पर ग़रीबों, पिछड़ों के समर्थन का दावा करती दिखती है. इसमें जनधन खाते, ग़रीबों के लिए मकान, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड और गैस कनेक्शन जैसी योजनाएँ शामिल हैं.

इसके अलावा हाल ही में केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना की भी घोषणा की है. इस योजना से बढ़ई, सोनार, मूर्तिकार, चर्मकार, नाई, बुनकर, दर्ज़ी, धोबी, लोहार वग़ैरह कई पेशे से जुड़े लोगों को लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है.

बिहार बीजेपी के नेता और विधायक नंद किशोर यादव कहते हैं, 'बिहार में अलग-अलग जातियों के लोगों की आर्थिक स्थिति अभी नहीं बताई क्योंकि इन्हें केवल राजनीति करनी है. ये लोग समाज को बांटकर राजनीति करने वाले लोग हैं. बीजेपी के वोट बैंक को इससे कोई ख़तरा नहीं होगा. हमने उनके लिए काम किया है. साल 2014 से ही बीजेपी के वोट इन वर्गों में लगातार बढ़ रहे हैं.'

इलाहाबाद के गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के प्रोफ़ेसर और समजाशास्त्री बद्री नारायण मानते हैं कि जाति आधारित जनगणना और इसपर हो रही राजनीति बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगी.

वो भी इस बात से बहुत हद तक सहमत दिखते हैं कि बीजेपी के पास केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग है.

बद्री नारायण कहते हैं, 'बीजेपी अब ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी नहीं रही. बीजेपी ने बड़ी संख्या में ओबीसी समुदाय के सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया है. यही नहीं देश का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं.'

यानी बीजेपी ओबीसी समुदाय में अपने जनाधार और ग़रीबों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को विपक्ष के मुक़ाबले में पेश कर सकती है.

हालांकि पुष्पेंद्र कुमार के मुताबिक़, ग़रीबों के लिए चलने वाली योजना से फ़ायदा होता तो कांग्रेस ने भी ऐसी बहुत सी योजना चलाई थीं. मनरेगा और नेशलन फूड सिक्योरिटी एक्ट धरे रह गए और कांग्रेस साल 2014 में चुनाव हार गई. हर सरकार में ऐसी योजना बनती है लेकिन इससे चुनावों में बहुत लाभ नहीं मिलता है.

विपक्ष का घेरा और बीजेपी का असमंजस

विपक्षी दलों ने जाति आधारित गणना की मांग ऐसे वक़्त में उठाई है जब भारत में हर दस साल में होने वाली आम जनगणना भी नहीं हो पाई है. यह काम साल 2021 में हो जाना था.

भारत में साल 1881 से हर दस साल में जनगणना कराई जाती रही है. केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लग रहा है कि भारत में जनगणना काम विश्व युद्ध के दौरान भी नहीं रुका, लेकिन मौजूदा सरकार इसमें असफल रही है.

बिहार में हुई इस गणना से जो आँकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक़ राज्य में अनारक्षित यानी सवर्ण जातियां क़रीब 15.52% हैं.

ख़ास बात यह है कि अनारक्षित वर्ग में मुसलमानों की ऊंची जातियाँ भी शामिल हैं. राज्य में हिन्दू सवर्ण जातियों की आबादी महज़ 10% के क़रीब है.

बीजेपी को सवर्ण जातियों के समर्थन वाली सबसे बड़ी बार्टी माना जाता है. हालाँकि पिछले कुछ चुनावों में पिछड़ी जातियों से भी बीजेपी को खूब समर्थन मिला है.

ऐसे में बीजेपी अगर जाति आधारित गणना का समर्थन करती है तो इससे उसके सवर्ण वोटर नाराज़ हो सकते हैं.

अगर बीजेपी इसका विरोध करती है तो इससे उसे ओबीसी समुदाय की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी, जो भारत में सबसे बड़ा वर्ग है. बीजेपी की इसी मुश्किल का का फ़ायदा विपक्ष उठाने की कोशिश में लगा है और जातियों की बात पर लगातार उसपर दबाव बढ़ा रहा है.

रशीद किदवई कहते हैं, 'मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इसे लेकर बहुत सावधान हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं जिससे कोई नज़ीर बन जाए, क्योंकि इससे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आ

जाएगा. पानी जब सिर से उपर आ जाएगा तब बीजेपी और नरेंद्र मोदी कोई कदम उठाएंगे.'

उनका मानना है कि पुरानी कांग्रेस वगैरह की सरकार होती तो उनको तरीका आता था, वो कह देते कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल देते या कोई आयोग बना देते. इससे मामला पांच-दस साल तक आगे खिंच जाता.

रशीद किदवई के मुताबिक़, अति पिछड़ी जातियों का समर्थन पाने के लिए बीजेपी को केवल एक बात कहनी है कि अगर वो 2024 में लौट कर आए तो जाति आधारित जनगणना करेंगे.

लेकिन इससे बीजेपी के सवर्ण जाति के वोटर नाराज़ होंगे और आरएसएस भी ऐसा नहीं चाहेगा. इसलिए लगता है बीजेपी फ़िलहाल 'वेट एंड वॉच' वाली रणनीति पर कायम रहेगी.

पांच राज्यों के चुनावों में कितना असर

हालांकि पुष्पेंद्र कुमार मानते हैं कि चुनाव के समय मज़बूत नेतृत्व और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जनता को ज़्यादा अपील करते हैं.

बीजेपी साल 2014 में इन्हीं मुद्दों को उठाकर सरकार में आई थी और कांग्रेस को भी ऐसा एक मुद्दा ढूंढना होगा.

उनका कहना है, 'कांग्रेस को इसके लिए कर्नाटक एक रास्ता दिखाता है. कांग्रेस ने वहां '40% की सरकार' की बात कर एक नेरेटिव सेट कर दिया. फिर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने खूब कोशिश की लेकिन वो कांग्रेस के नैरेटिव को नहीं बदल सके.'

भारत के बारे में जानकार एक बात को खास़ ज़ोर देते हैं कि यहां जिस समुदाय के लिए आरक्षण या बाक़ी योजनाएँ बनाकर ज़रूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है, उनकी आबादी तक की जानकारी सरकार के पास नहीं होती है.

इनमें अनुसूचित जनजाति और दलितों के अलावा बाक़ी जातियों की आबादी की आखिरी गिनती साल 1931 की जनगणना में की गई थी. ऐसे में विपक्षी दल 'जाति आधारित गणना' एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगे हैं.

भारत में फ़िलहाल आने वाले दिनों में पाँच मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

उन चुनावों में जाति आधारित गणना के मुद्दे का क्या असर होता है, उसी पर बीजेपी और विपक्षी दलों की आगे की रणनीति भी देखने को मिल सकती है.

संविधान की समानता के आत्मा के विपरीत

राजनीति का 'जातिवादी जहर' कर रहा देश का भविष्य बर्बाद

जातिवादी जनगणना राष्ट्र की अखंडता को खंड-खंड बिखेरेगा

पूरे देश में जो जातिवाद का जहर सत्ता को हथियाने के लिए राजनीतिक दल घोलकर पूरे देश के हर गांव से लेकर शहरों तक जो समीकरण स्थापित किए जाते हैं। वे यथार्थ में देश को शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक समृद्धि में पलीता लगा यथार्थ में घाघ नेताओं उनके राजनीतिक दलों को तात्कालिक लाभ तो देते हैं। परंतु 75 साल की पट्टे की आजादी के बाद में भी देश के यथार्थ विकास की गति को धीमा कर बर्बाद कर रहे हैं। बेशक यह काम राजाओं से ज्यादा खतरनाक ढंग से भारत में आकर अंग्रेजों ने किया। एक तरफ यह अपने व्यापार की आड़ में साम्राज्य को विस्तृत कर रहे थे तो दूसरी तरफ भारत में आकर उन्होंने सबसे पहले यहां के शास्त्रों संस्कृत, ज्ञान विज्ञान, आयुर्वेद, औषधि कृषि, वस्त्र, वास्तु,भवन निर्माण, काल गणना, ज्योतिष, आध्यात्म तंत्र मंत्र, सामुद्रिक शास्त्र, धातु, आभूषण, रसायन, रंग, संगीत, समुद्रिक जलयानों आदि अनेकों विषयों की न केवल गहन मीमांसा की वरन उस ज्ञान को जीवित रखने वाले ब्राह्मणों की पठन-पाठन की और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान की श्रृंखला को हस्तांतरित करने के बारे में भी गहराई से समझा।

उन्हें सबसे ज्यादा डर ब्राह्मणों के गुरुकुल की शिक्षा से लगता था।

जो शिक्षा के बदले में भिक्षा मांग कर भारत के ज्ञान की परंपरा को शताब्दियों से जीवित रखा हस्तांतरित करता चला रहा था को उन्होंने लक्ष्य कर सबसे पहले उनको बदनाम करने गुरुओं व गुरुकुल की परंपराओं को खत्म करने का षड़यंत्र किया। जिसमें सबसे पहले 1820 में मैकाले ने जहां-जहां उनका राज्य फैल चुका था या जिन राजाओं पर उनका अधिकार चलता था! सबसे पहले उन्होंने 40 लाख शिक्षा दानी ब्राह्मणों को गांवों तक फैले 10 लाख से ज्यादा गुरुकुलों को खत्म कर देश में ज्ञान के माध्यम की संस्कृत की पारंपरिक व क्षेत्रीय भाषाओं को खत्म करने अंग्रेजी भाषा के यतीम खाना शिक्षा पद्धति शुरू की जिसे कॉन्वेंट कहा जाता है। और अंग्रेजों ने शिक्षा विद ब्राह्मणों को बदनाम करने अनेक तरह के उनके विरुध्द षड़यंत्र किया ताकि वह देश की पीढ़ीयो को पुनः सुसंस्कृत ज्ञान में पारंगत न कर सकें। और यहां की प्रचलित जीवन पद्धति को खंड-खंड बिखेरने, अपना माल बेचने अपनी भाषा, ज्ञान थोप सदा

के लिए गुलाम बनाने संस्कृति को नष्ट करने के षड़यंत्र में जातिवाद के जहर को और गहरा किया ताकि वे आपस में लड़ते-लड़ते खत्म होते रही और आने वाली पीढ़ियां संस्कृति को भूल उनकी भाषा और संस्कृति को अपना कर मानसिक शारीरिक रूप से उनका अनुसरण कर उन्हीं को अपना आका मान ले। इसके लिए आवश्यक ताकि जातिवाद के विश्व को पिलाकर गहरा कर हिंदू मुस्लिमके युद्ध होते रहे और वह देश को लूट कर अपनी रानी के चरणों में डालते रहें जो शताब्दी पहले हो रहा था वही आज हो रहा है वही भाजपा पार्टी आज भी कर रही है।

दूसरी तरफ यदि आपने सत्ता हथियाने के लिए विभिन्न जातियों को मतों के ध्रुवीकरण के लिये जातिगत जनगणना की तो फिर आपको उस प्रतिशत के हिसाब से अभी तो आप केवल छात्रवृत्ति बांट रहे हैं। जाति के हिसाब से आरक्षण में नौकरी दे रहे हैं देगी। क्योंकि जातिगत जनगणना का कार्यक्रम धीरे-धीरे विकृत रूप लेता हुआ। हर जगह आरक्षण की मांग करेगा और देश के संविधान की समानता की आत्मा को कुचलकर देश की अखंडता को बर्बाद करेगा। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए।

कल्पना कीजिए की सेना में आपने अगर आरक्षण दिया तो फिर क्या इस आरक्षण के हिसाब से शत्रु आक्रमण करेगा और इस आरक्षण के हिसाब से आपको जातिगत लोगों को आगे करके अपने देश की रक्षा करनी होगी। वायु सेना में फाइटर प्लेन, पनडुब्बी और पानी का युध्दक जहाज आदिवासी ही उड़ाएगा चलायेगा। टैंक और तोप भी आदिवासी ही चलाएगा क्योंकि उसे सबसे ज्यादा आरक्षण मिलता है।

दूसरी तरफ जब आरक्षण उसे सबसे ज्यादा मिलता है और देश की आगम आय का सबसे ज्यादा वह खाता है तो उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा

जो जिस जाति का जितना टैक्स देगा इतने धन से ही केवल उसकी जाति को लाभ पहुंचाया जाएगा और उसके क्षेत्र में विकास किया जाएगा उसके क्षेत्र के पार्षदों नेताओं मंत्रियों को उसी के पैसे से वेतन दिया जाएगा।

जातिगत जनगणना के हिसाब से नौकरियों में छात्रवृत्ति में व अन्य सेवाओं में आदिवासियों अनुसूचित जातियों कोअपने वोटो के लिए आरक्षण दीजिए। परंतु इस आरक्षण मै यह व्यवस्था भी होनी चाहिए जिस जाति के व्यक्ति जितना देश को टैक्स देंगे। उसी करों की वसूली से ही उनका विकास किया जाएगा आखिर जैन कुल आबादी के 0.05% है। तो देश की अर्थव्यवस्था का 20% टैक्स देकर निर्धन जैनों को कहीं कोई आरक्षण नहीं जबकि उनसे लूट पूरी होती है जातिगत जनगणना कीजिए जो जितना टैक्स दे। उसको उतना लाभ दीजिए देश, देश की सार्वजनिक संपत्तियों देश का धन अपने बाप की जागीर नहीं। जालसाज तड़ीपार अपराधियों ने छल बल दल के षड़यंत्रों से सत्ता हथिया कर हरामखोरों जो लूट अति अल्पसंख्यक जैनियों, सिखों से की जा रही है। जबकि उनको किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण कहीं पर भी नहीं मिलता। सस्ता अनाज, उनके छात्रों को छात्रवृतियां, उच्च शिक्षा में आरक्षण, यदि जातिगत जनगणना के हिसाब से शिक्षा में हजारों करोड़ की छात्रवृत्तियां बांटी जा रही हैं। तो जनधन सत्ताधीशों के बाप की जागीर नहीं है। जो अपने वोटो के लिए मनमर्जी से लुटाओ। जिस जाति के लोगों से जितना करों में धन प्राप्त हो। उस जाति के लोगों को उनके वसूले करों से उनका हिस्सा दिया जाए। उनके क्षेत्र का विकास किया जाए नदियों पर पुल, बांध सड़कें विद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र बनाई जायें। तब ही तो जातिगत जनगणना सफल होगा और सही मायने में जातिगत आरक्षण की मांग करने वालों को उसका सही अर्थ समझ में आएगा।

रूस-चीन-अमेरिका ताप रहे तीनों

पेज 1 का शेष

'हम नागरिक आबादी की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और इस संकट को रोकने के लिए आवश्यक बुनियादी उपायों की मांग कर रहे हैं।'

हमास द्वारा संचालित क्षेत्र के अधिकारियों ने कहा है कि गाजा में, इजरायल के लगातार अभियान में 12,000 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक भी शामिल हैं।

गाजा में बंधक बनाए गए लगभग 240 बंधकों के हजारों परिवार के सदस्य और समर्थक शनिवार को यरूशलेम पहुंचे, उन्होंने हमास के साथ युद्ध से निपटने के तरीके पर इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की और सरकार से अपने प्रियजनों को घर लाने के लिए और अधिक प्रयास करने का अनुरोध किया।

मार्च ने तेल अवीव से पांच दिवसीय यात्रा पूरी की और दक्षिणी इज़राइल में आतंकवादियों के घातक हमले के हिस्से के रूप में 7 अक्टूबर को हमास द्वारा गाजा में खींचे जाने के बाद बंधकों की ओर से सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व किया। - एपी

मध्य पूर्व पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के मुख्य सलाहकार ने कहा कि अगर गाजा में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों को मुक्त कर दिया जाता है, तो इजरायल-हमास युद्ध में 'महत्वपूर्ण विराम' होगा। ब्रेट मैकगर्क ने बहरीन में एक सुरक्षा सम्मेलन में कहा, 'मानवीय राहत में वृद्धि, ईंधन में वृद्धि, ठहराव... तब आएगा जब बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा।'

उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में बंधकों की रिहाई के परिणामस्वरूप 'एक महत्वपूर्ण रुकावट... और मानवीय राहत में भारी वृद्धि' होगी। - एएफपी

गाजा की हमास सरकार ने शनिवार को कहा कि 7 अक्टूबर को शुरू हुई शत्रुता के बाद से फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली सैनिकों और हमास आतंकवादियों के बीच लड़ाई में मरने वालों की संख्या 12,300 तक पहुंच गई है।

हमास सरकार ने कहा कि मृतकों में 5,000 से अधिक बच्चे, 3,300 महिलाएं और 30,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसके स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले कहा था कि वह अब मृतकों की सही संख्या नहीं बता सकता क्योंकि भीषण लड़ाई के कारण शवों को बरामद नहीं किया जा सका है। - एएफपी

तुर्की मीडिया ने शनिवार को राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन के हवाले से बताया कि अगर वहां युद्धविराम हो जाता है तो तुर्की गाजा में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे, अस्पतालों और स्कूलों के पुनर्निर्माण के प्रयास करेगा।

जर्मनी की यात्रा से लौटते हुए अपने विमान में बोलते हुए, श्री एर्दोगन ने यह भी कहा कि तुर्की इज़राइल में परमाणु हथियारों के निरीक्षण के लिए आह्वान कर रहा है, इसलिए इस मुद्दे पर कोई संदेह नहीं रह गया है, ब्रॉडकास्टर ए हैबर ने अपनी वेबसाइट पर कहा। - रॉयटर्स

संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के प्रमुख ने शनिवार को कहा कि उन्हें गाजा के उत्तर में एक यूएनआरडब्ल्यूए स्कूल पर हमले में मारे गए और घायल हुए कई लोगों की 'भयानक' छवियां और फुटेज मिली हैं।

साप्ताहिक समय माया

चुनावी महोत्सव प्रताड़ना सेवा अधिकारियों के लिए लूटोत्सव

लूट सके तो लूट अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट

जनधन बाप की जागीर, मतदान केंद्रों को सजाने संवारने में कहीं करोड़ों खर्च तो कहीं पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं थी

17 नवंबर को प्रदेश में हुए चुनावों में जिलाधीश से लेकर निगम आयुक्तों, उप जिलाधीश सहायक जिलाधीश अतिरिक्त जिलाधीश स्तर के अधिकारियों से लेकर से तहसीलदार पटवारी कार्यपालन यंत्री से लेकर सहायक उप यंत्री बाबूओं जो लोक निर्माण विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय नगर पालिकाओं परिषदों जनपदों वेः मुख्य कार्यपालिका अधिकारी तक सब की उचट कर लग जाती है। चुनाव आयोग से आए हुए पैसे में बीएलओ से लेकर सभी अधिकारियों कर्मचारियों चौकीदारों भृत्यों गांवों के कोटवारों चुनाव कार्यो में लगाए गएसारे पुलिसकर्मियों सुरक्षा सैनिकों निरीक्षकों सेक्टर अधिकारियों तक सबके यात्रा भोजन पानी के साथ दैनिक भत्ते सब शामिल रहता है। जो सब जिलाधीश कार्यालय में बैठे निर्वाचन का एडीएम एसडीएम से बाबू तक हजम कर जाते हैं। कई चुनाव के दौरे पर मैं गया तो वहां कोटवा रूम कर्मचारियों को भोजन पानी की व्यवस्था शासन की ओर से नहीं वरन वहां के बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की ओर से करवाई गई स्वाभाविक सी बात थी कि जब भी प्रत्याशियों का भोजन करेंगे तो उनके लिए उनके इशारे पर जहां से उनको वोट मिलने की उम्मीद नहीं है उसे क्षेत्र में सत्ताधीश दल के प्रत्याशियों के इशारे पर जानबूझकर धीमा मतदान करवाने धीरे-धीरे उंगली में स्याही लगाएंगे उनके वोटर आईडी कार्ड का सत्यापन करने बार-बार पन्ने पलटेंगे।

बेशक इन सबके लिए हर मतदान केंद्र की वीडियो शूटिंग करने रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा की व्यवस्था कागजों पर थी पर अधिकांश के दो पर इंदौर में ही ना कैमरा लगाए गए थे ना वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी ताकि सत्ता भी डाल के प्रत्याशी मनमर्जी का सारा खेल कर सकें फर्जी मतदान करवा सकें। और शिकायत होने पर उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग ना हो। जिसके लिए जिलाधीश टी इलैया राजा, निगम आयुक्त हर्षिका सिंह, सेक्टर ऑफिसर पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। और उनको तत्काल आरोप पत्र देकर यहां से हटाया जाना चाहिए।

दूसरी तरफ जहां बड़े नेताओं अधिकारियों को मतदान करना था के लिए अकेले इंदौर में ही 36 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे। जहां पर करोड़ों रु. लाल कालीन बिछाने, दीवारों पर मांडने बनाने, बांस की झोपड़ियां बनाने फूलों झूमरों, बड़ी-बड़ी वाल पेंटिंग लटकाने, पुरानी साड़ियां लटकाने, पेड़ पौधे लगाने, गमले रखने, दीवारें मां और मार्ग को सजाने करोड़पति की शादियों से ज्यादा खर्च किए गए। जब यह सारी नौटंकी चल रही थी तो जिन गरीब मजदूरों से वह सजावट का काम पेंटिंग बनाने लटकाने का काम करवाया जा रहा था तो एक नगर निगम का अधिकारी पीली गाड़ी में घूमते हुए आया और बोला कि इसके खाली बिल बना कर देना नाम और पैसा हम लिख भर लेंगे।

वहां पर कोई भी कोई कैमरे नहीं थे। अर्थात भ्रष्टाचार के लिए 10 गुना ज्यादा के बिल लगाकर सारी बंदरबन जिलाधीश जिसे आवत मिला था से लेकर निगम आयुक्त उप, सहायक आयुक्तों से लेकर बाबूओं तक धन की जमकर भ्रष्टाचार की बंदरबांट होगी।

जबकि जहां रु. 1 किलो का गेहूं और रु. 2 किलो का चावल खाने वाले जानवरों रुपी जनता को वोट डालने थे। 90% मतदान केंद्रों पर लाखों का फर्जी बिल बनाया जाएगा। मतदाताओं के लिए छाया की व्यवस्था करने, बैठने के लिए कुर्सियों की, पीने के पानी की व्यवस्था करने, हर मतदान केंद्र पर विकलांग मतदाताओं के लिए फर्जी कागजों पर ही चढ़ाव, शौचालय बनाए गए होंगे। साथ ही हर मतदान केंद्र पर मतदान कक्ष में, जहां से मतदाता, मतदान केंद्रों में घुसेगा वहां से हर जगह वीडियो कैमरे की व्यवस्था कागजों पर ही कर दी गई थी। की कोई उंगली नहीं उठाई।

ताकि सत्ताधीश दल के प्रत्याशी और उनके गुर्गे आसानी से फर्जी मतदान करवा सकें। अकेले इंदौर में ही 5 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर औसतन 10000 से ज्यादा गरीब मतदाताओं को रू. 2000 देकर अंगुली पर काली स्याही लगा दी गई थी। उनके वोट तो केंद्रों पर बैठे स्टाफ को खरीद या डरा धमकाकर फर्जी वोटिंग करवा दी गई। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को कलेक्टर से लेकर नीचे चौकीदार तक को देश के गृहमंत्री तड़ीपार अमित शाह ने मध्य प्रदेश के दौर में धमका दिया था, की सभी अधिकारी कर्मचारी चुनावों में हमारे प्रत्याशियों का ख्याल रखें अन्यथा देख लिया जाएगा।

5 महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव होना है। उन मतदान केंद्रों पर पक्के चढ़ाव बन गए होंगे वहां के भी बिल बनाकर अगले चुनाव तक के लिये लगा दिए जाएंगे। वर्तमान बिलों की कॉपी में तारीख नहीं डाली जाएगी। बिना तारीख के उन बिलों की कॉपियां अगले चुनाव में भी खर्च में दिखा दी जाएगीं। लगभग इस फर्जी बाड़े में चुनाव आयोग के मिले धन का 60% पैसा हजम कर लिया जाएगा। यही हाल परिवहन जिला अधिकारी कार्यालय में भी होगा। चुनाव की घोषणा से लेकर मतदान होने तक सभी अधिकारियों को सारे भत्ते परिवहन के नाम पर सैकड़ो गाड़ियां बसें किराए पर लेना दिखाया जाकर उनके पेट्रोल डीजल का खर्च चुनाव वेः खर्चों में डाल स्कूटर, मोटरसाइकिलों, ट्रकों के नंबर की गाड़ियां चुनाव में संलग्न दिखा लगभग 10 करोड़ हजम किया जाएगा। जबकि मतदान दल के अलावा गांव के केंद्रों को छोड़ अधिकांश कर्मचारी अधिकारी पुलिस व अन्य सुरक्षाकर्मी अपने वाहनों से ही सोने खाने-पीने रहने की व्यवस्था न होने के कारण वहां पहुंचेंगे।

आदर्श मतदान केंद्र के करोड़ों रुपए के खर्च पर जब मैंने एक वीडियो बनाकर व्हाटस एप पर चलाया तो दूसरी तरफ यहां के निगम आयुक्त के टुकड़े खाने वाले पत्रकारों ने उसकी जनधन की बर्बादी और उसमें हुए भ्रष्टाचार की सच्चाई प्रकाशित करने की अपेक्षा, उसकी प्रशंसा कर दी।

जिलाधिकारी के निर्वाचन शाखा से लेकर निगम आयुक्त, कार्य पालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग को इसकी जानकारी मांगने के लिए जब सूचना के अधिकार में आवेदन दिया जाएगा। तो ये हरामखोर जालसाजों की फौज नए-नए बहाने बना उन पत्रों का महीने दो महीने बाद जवाब देगी और उसकी अपील लगाने के बाद उनका ही वरिष्ठ अधिकारी और अपीलों को विभिन्न बहानों के आधार पर खारिज कर देगा।

जब वही अपील सूचना आयोग में जाएगी तो आय का योग लेकर बैठे आयुक्त 2-3 साल तक उसको सुनेंगे ही नहीं या उस की सुनवाई का क्रम ही नहीं आएगा और उसके बाद जब उसका नंबर आएगा तब तक वह अधिकारी शहर छोड़ कर जा चुके होंगे।

जबकि इस सारे धन का पूरा विवरण चुनाव आयोग को हर जिले और मतदान केंद्र के हिसाब से धारा 4 के अंतर्गत स्वयं अपनी साइट पर अपलोड कर जनता को बताया जाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ सरकार बोलती है, कि उसके पास धन नहीं है।

बाजार से लाखों करोड़ों की कर्ज उठाती है। तो दूसरी तरफ 1500 से ज्यादा वस्तुओं सेवाओं पर जीएसटी ठोक लाखों करोड़ रु लूट कर विभिन्न प्रकार के फर्जी खर्चे दिखा भ्रष्टाचार कर हजम कर जाती है।

भूतपूर्व तड़ीपार जिलाबदर वर्तमान गृहमंत्री की जो भाषा इस्तेमाल की गई है कि जो कमल के निशान का ध्यान नहीं रखेगा अधिकारी उसको देख लेने की धमकी यहां धमकी अभी तक तो विपक्ष के कहीं बड़े-बड़े नेताओं को थे इंडी से छापे पड़वा के दिल नहीं माना तो सीबीआई से भी छापे पाड़वाए गए विपक्ष के नेताओं को जेल भिजवाया उनकी सांसद में से सदस्यता छीन ली यह सब सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाह जिला बगैर तड़ीपार भाषा का समावेश नजर आ रहा था अब तो हद हो गई की बड़े-बड़े आईपीएस एडीजीपी सबके सामने सीधा कहा गया है की जो कमल का ध्यान नहीं रखेंगे उनका इलाज कर दिया जाएगा यह क्या स्थिति पर देश पहुंच गया है कि इन तड़ीपरों से आईपीएस आईएएस जीपी अधिकारी भी कुछ मुंह नहीं खोल पाए एक समय इंदौर में डॉन वाला बैग ने एक पुलिस कर्मचारियों के ऊपर आक्रमण किया था तब इंदौर के दबंग आईजी सुरजीत सिंह दशामाना जी ने उसे नष्ट नाबूत कर दिया था वह वाला बाग का नाम लेवा भी नहीं बचा उनके नाम से इंदौर में ज्यादा गिरी करने वालों को समाप्त कर दिया था क्या आज की तारीख में पूरे प्रदेश में कितना खुद्दार अधिकारी स्वाभिमानी कोई भी नहीं बचा जो कि इस बयान के बाद गृहमंत्री को सलाखों के पीछे ला सकता शायद अब इस देश में कोई भी पढ़ा लिखा अधिकारी इन तड़ीपार जिला बदर के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा है।

इसे कहते हैं गुंडाराज आईपीएस आईएएस अधिकारी सबको धमकी देकर जा रहा है अगर इस प्रदेश में एक भी बहादुर होता मर्द होता आईपीएस अधिकारी डीजीपी मर्द होता तो इसे भोपाल में ही अरेस्ट कर लेता धमकी देने के आरोप में अपना नकली शक्ति प्रदर्शन दर्शाने के लिए बच्चों की भी ऐसी तैसी करने पर तुले हैं यह नकली राष्ट्र विरोधी जो अपना झंडा भी देश के झंडे से तिरंगे से अलग लगते हैं।

कार्टून कोना

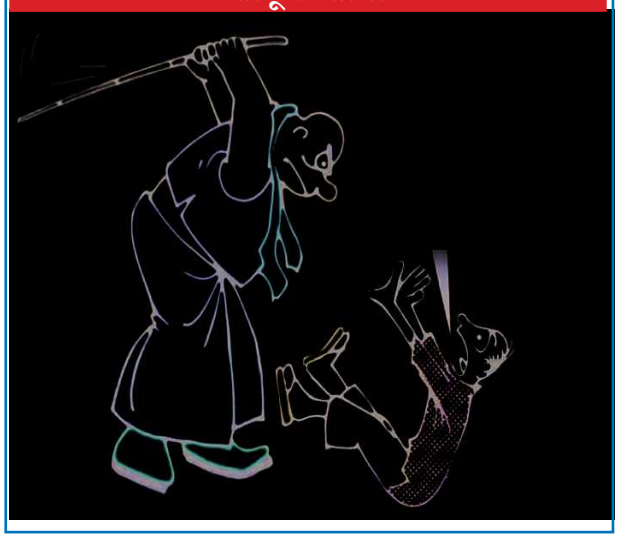

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803